

CA-16
28/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. of 2013

Kinkin
~~Kinkin~~ Devi.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & ors. Respondents.

Sub: *Others, Non GAZETTED*
Selection

INDEX

Serial Nos.	Particulars	Page(s)
1.	Petition with Affidavit	1-15
2. Annexure-1	A photo copy of Memo No. 2862 dated 04-11-2011	16-27
3. Annexure-2	A copy of amended guidelines contained in Memo No. 423 dated 03-02-2012	28-30

4. Annexure-3	A copy of receipt dated 30-01-2012	31
5. Annexure-4	A copy of letter No. 534A dated 09-09-2012	32
6. Annexure-5	Relevant extract of proceeding	33-37
7. Annexure-6	A copy of day-to-day proceeding in Case No. 28 of 2012	38-39
8. Annexure-7	A copy of mapping register report supplied to the petitioner under Right to Information Act	40-41
9.	VAKALATNAMA	

(i)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. of 2013

Kankin DeviPetitioner.

Versus

The State of Bihar & ors. Respondents.

SYNOPSIS & DATES OF EVENTS:-

The present writ petition has been filed for commanding the respondents, especially, the respondent No. 2 to consider the claim of the petitioner for appointment on the post of Anganwari Sevika at Mini Centre, Parwa North, Paswan Tola and to dispose of the Miscellaneous Case No. 28 of 2012 pending since long. It is stated that the appointment of the respondent No. 6 on the post of Anganwari Sevika at the said sub-centre is de horse of the guidelines 2011 as amended in the year, 2012, issued by the Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.

Hence, this writ petition.

DATES:

- 04-11-2011 The Secretary, Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna issued a detailed guidelines.
- 03-02-2012 The guideline, 2011 issued by the Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna was modified.
- 11-08-2012 The Child Development Project Officer, Muraliganj directed the petitioner and others to appear on 21-08-2012 along with the entire certificates for their selection.
- 21-08-2012 The petitioner and others appeared along with the entire testimonials.
- 09-09-2012 The CDPO Muraliganj again directed the petitioner and 5 others to appear on 17-09-2012 for verification of their documents.

- 17-09-2012 After the formality being completed by the respondents, an Aam Sabha was convened in which, the applications of all the candidates were considered.
- 17-09-2012 The respondent No. 6 was selected and appointed on the post of Anganwari Sevika.
- 03-10-2012 The petitioner filed a Miscellaneous Case No. 28 of 2012 in the court of learned Collector-cum-District Magistrate, Madhepura.
- 07-12-2012 The Collector, Madhepura called for a report from the CDPO through the DPO.
- 15-12-2012 The CDPO supplied the documents to the petitioner under Right to Information Act.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. of 2013

In the matter of an application
under Article-226 of the
Constitution of India

And

In the matter of

Kinkin Devi, W/o Ranjan Poddar, resident of village-Parwa Navtoli,
Ward No. 1, P.S. Muraliganj, District-Madhepura.

..... **Petitioner.**

-VERSUS-

1. The State of Bihar through the Secretary (Social Welfare Department) Government of Bihar, Pana.
2. The District Magistrate, Madhepura.

3. The District Programme Officer, Madhepura.
4. The Child Development Project Officer, Muraliganj,
District-Madhepura.
5. The Mukhiya, Parwa Navtoli Panchayat, P.S. Muraliganj,
District- Madhepura.
6. Kunjan Kumari, W/o Sri Pawan Thakur, resident of
Village-Parwa Navtoli, Ward No. 3, P.S. Muraliganj, District-
Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice
of the High Court of Judicature at Patna and her companion
justices of the said Hon'ble Court.

Humble petition on behalf of the
petitioner named-above;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this writ petition is being filed for the following reliefs:

(i) For issuance of an appropriate direction, order or writ in the nature of mandamus commanding the respondents, especially, the respondent No. 2 to consider the claim of the petitioner for appointment on the post of Anganwari Sevika at Mini Centre, Parwa North, Paswan Tola and to dispose of the Miscellaneous Case No. 28 of 2012 pending since long by extending undue favour to the respondent No. 6 who was given collusive and illegal joining letter at the said Sub Centre by the Child Development Project Officer, Muraliganj contrary to the guidelines 2011 as amended in the year, 2012.

(ii) For further holding and declaring that the appointment of the respondent No. 6 on the post of Anganwari Sevika

at the said sub-centre is de horse the guidelines 2011 as amended in the year, 2012 issued by the Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna.

(iii) For any other relief/reliefs to which the petitioner may be found entitled to, in the facts and circumstances of the case.

2. That this writ petition is sought to be maintained on amongst other the following main grounds:-

(i) Whether any person can be appointed de horse the guideline issued by the Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna?

(ii) Whether the person who is not fulfilling the eligibility criteria can be appointed by extending undue favour

to accommodate her on the said sub centre?

(iii) Whether the Miscellaneous Case (Complaint Case) filed before the learned Collector, Madhepura can be kept pending for an indefinite period?

(iv) Whether the learned Collector Madhepura is required to consider and dispose of the said claim/case of the petitioner within the time framed under the guidelines?

(v) Whether the action of the respondents can be justified specially, when the said action of the respondent is contrary to the guidelines issued in this context?

3. That the petitioner is a citizen of India and resides well within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That at the outset, it is stated that the Secretary, Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna issued a detailed guidelines vide Memo No. 2862 dated 04-11-2011. It is stated that by the aforesaid guidelines, a detailed procedure and eligibility criteria were determined for appointment on the post of Anganwari Sevika.

*A photo copy of Memo No. 2862 dated 04-11-2011 is being annexed herewith and marked as **Annexure-1** to this writ petition.*

5. That it is stated that the aforesaid guideline issued by the Social Welfare Department, Government of Bihar, Patna was modified vide Memo No. 423 dated 03-02-2012. It is stated that by the present modification, several clarifications ^{were made} with regard to the guidelines ~~was~~ issued in the year, 2011, and the respondents were directed to act in accordance with the said guidelines.

A copy of amended guidelines contained in Memo No. 423 dated 03-02-2012 is being

*annexed herewith and marked as **Annexure-2** to this writ petition.*

6. That it is stated that pursuant thereto, the District Magistrate, Madhepura issued an advertisement for various sub centres including Parwa North-^{paswan}~~Madhepura~~ Tola Sub centre for appointment on the post of Anganwari Sevika. It is stated that the detailed programmes were advertised through the aforesaid advertisement and the eligible candidates were directed to apply for the post of Anganwari Sevika for the said sub centre.

7. That it is stated that in pursuant thereto, the petitioner alongwith others applied for the post of Anganwari Sevika. It is stated that the petitioner was given the receipt in token of proof for submitting her application for the said sub centre on 30-01-2012.

*A copy of receipt dated 30-01-2012 is being annexed herewith and marked as **Annexure-3** to this petition.*

8. That it is stated that the respondents scrutinized the entire applications, so received within the stipulated time and six persons including the petitioner were found eligible for the said posts. It is stated that the Child Development Project Officer, Muraliganj vide his letter No. 473 dated 11-08-2012 directed the petitioner and others to appear on 21-08-2012 along with the entire certificates for their selection. It is stated that the petitioner and others appeared on 21-08-2012 along with the entire testimonials but the Child Development Project Officer (hereinafter referred to CDPO) informed that the date for selection has been cancelled.

9. That it is stated that subsequently, the CDPO Muraliganj again vide her letter No. 534A dated 09-09-2012 directed the petitioner and 5 others to appear on 17-09-2012 for verification of their documents.

A copy of letter No. 534A dated 09-09-2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-4** to this petition.

10. That it is stated that after the aforesaid formality being completed by the respondents, an Aam Sabha was convened on 17-09-2012 in which, the applications of all the candidates were

considered and ultimately, the petitioner and respondent No. 6 were brought in the panel. It is stated that in the aforesaid panel, respondent No. 6 was placed at serial No. 1 and the petitioner was placed at serial No. 2 for the said post and ultimately, the respondent No. 6 was appointed on the post of Anganwari Sevika at the said sub centre i.e. Anganwari Sub centre Uttari Paswan Tola, Parwa.

11. That it is stated that against the said merit list, the petitioner filed an objection before the CDPO, Muraliganj to correct and rectify the said merit list.

12. That it is stated that in the said application, the petitioner had pointed out that the respondent No. 6 belongs to Ward No. 3 and as per the guideline, 2011, a person outside the Ward cannot be selected and appointed on the post of Anganwari Sevika.

13. That it is stated that under ^{Sub} Clause 4.2 of Clause 4 of the Guideline, 2011, it has been stipulated the person shall be appointed from the people of majority community from the same very Ward. It is stated that the respondent No. 6 belongs to Ward No. 3 and, therefore, she was not eligible to be appointed in sub centre situated at Ward No. 1. This fact was also brought to the notice of CDPO and the petitioner

requested to rectify the said merit list in consonance with the guidelines issued for selection on the post of Anganwari Sevika.

14. That it is stated that in spite of the aforesaid categorical submission of the petitioner, no steps were taken by the CDPO and the respondent No. 6 was selected and appointed on the post of Anganwari Sevika on 17-09-2012.

15. That it is stated that the respondent, in spite of categorical objection by this petitioner, no documents were supplied and under such circumstances, the petitioner sought information under Right to Information Act seeking therein the relevant register and proceeding of the selection of Anganwari Sevika. It is stated that the CDPO vide his letter No. 708 dated 15-12-2012 supplied documents and only then, the petitioner came to know that how the respondent No. 6 was appointed illegally on the post of Anganwari Sevika.

*Relevant extract of proceeding is annexed herewith and marked as **Annexure-5** to this petition.*

16. That under the aforesaid circumstances, when the CDPO did not take any step, the petitioner filed a Miscellaneous Case No. 28 of

2012 in the court of learned Collector-cum-District Magistrate, Madhepura on 03-10-2012.

17. That it is stated that after filing of the said case before the learned Collector, the proceeding was taken and vide order dated 07-12-2012, a report was called for, from the CDPO through the DPO but till date, no report had been submitted either by the CDPO or DPO and as a result of which, the case filed by the petitioner is still pending in the court of learned Collector, Madhepura.

A copy of day-to-day proceeding in Case No. 28 of 2012 is annexed herewith and marked as **Annexure-6** to this petition.

18. That apart from the aforesaid facts, the mapping register was supplied to the petitioner under Right to Information Act. It is stated that in Ward No. 1, the population of the caste "NAAI" i.e. the caste of respondent No. 6 is not available whereas; 17 families of the petitioner's caste reside in Ward No. 1 and as per the guideline, 2011, the persons belonging from the majority of caste group can only be appointed and, therefore, the appointment of respondent No. 6 at

Parwa Anganwari Sub centre is per se illegal, contrary to guidelines and is fit to be quashed.

A copy of mapping register report supplied to the petitioner under Right to Information Act is annexed herewith and marked as **Annexure-7** to this petition.

19. That it is stated that under Sub clause ^{10.2} ~~10.1~~ of Clause 10, any dispute is required to be decided within a period of 30 days and if the appeal is pending, then in that case, the appeal must be decided within 30 days of filing of the said case/appeal. It is stated that in the present case, the petitioner filed the present case on 03-10-2012 but till date, that has been kept pending without final adjudication of the case which is contrary to the provisions of the guideline.

20. That it is stated that the respondents are intentionally delaying the disposal of the case to extend the undue favour to respondent No. 6 who is neither the resident of that Ward nor belongs to the majority of the caste group and, therefore, the learned District Magistrate may be directed to decide the claim of the petitioner within a time frame.

21. That the petitioner is the only candidate of the Ward^{No.1} who fulfills the entire eligible criteria to be appointed on the post of Anganwari Sevika at the said sub centre but the respondents are arbitrarily negating the claim of the petitioner which is bad in law as well as on facts.

22. That the petitioner has ~~been~~ left no stone unturned to get the justice but by some way or the other, her genuine claim has been arbitrarily negated. Under the aforesaid compelling circumstances, the petitioners have been left with no other alternative and efficacious remedy save and except to move this Hon'ble Court by way of this writ petition.

23. That the petitioner has not filed any other writ petition before this Hon'ble for the reliefs as prayed for in this writ petition.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to issue Rule Nisi calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for in this writ petition be not allowed to the petitioner and upon

~ 14 ~

return of the rule, cause shown, if any,
and after hearing the parties be pleased
to make rule absolute against the
respondents;

And/Or

May pass any such other order/orders as
Your Lordships may deem fit and proper
in the facts and circumstances of the
case;

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

Kinkin Devi, aged about-25 years W/o Ranjan Poddar, resident of village-Parwa Navtoli, Ward No. 1, P.S. Muraliganj, District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am the petitioner in this case and as well conversant with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same and they are true to my knowledge.
3. That the facts stated in Paragraphs- 3, 5, 8, 10 to 14, 16(p), 19 to 23 are true to my knowledge and those mentioned in Paragraphs- 4, 5, 7, 9, 15, 16(p), 17, 18 are based on record which I believe to be true and rest Paragraphs are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the Annexures are true copy/photo copy of the its/theirs originals.

आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011

(ज्ञापांक 423, दिनांक 3.2.2012 द्वारा संशोधित)

[ज्ञापांक सं० ICDS/30010/1-2011/2862, dated 4.11.2011]

समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011

1. उद्देश्य.—वर्ष 2006 में समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की गयी थी। उसके अनुपालन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण एवं कुछ बिन्दुओं को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में पूर्व की मार्गदर्शिका को संशोधित किया गया।

सेविका/सहायिका की चयन की प्रक्रिया में जटिलता, सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में आ रही बाधा, सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में हो रहे विलम्ब तथा विभिन्न जिलों से सेविका/सहायिका चयन के संबंध में मांगे जा रहे मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चयन की प्रक्रिया को सहज, सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका को रद्द करते हुए इस मार्गदर्शिका को निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। इसके प्रभावकारी होते ही इसके प्रावधानों के अनुसार चयन संबंधी कार्य किये जायेंगे। इससे हुए किसी विचलन को सरकार गंभीरतापूर्वक लेंगी तथा इसके जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

2. परिभाषाएँ.—इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "वार्ड की आम सभा" से अभिप्रेत है वार्ड में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी व्यस्क सदस्यों की आम सभा।
- (ख) "प्रधान सचिव" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव।
- (ग) "आंगनवाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है आई०सी०डी०एस० अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र।
- (घ) "आंगनवाड़ी सेविका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सेविका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।
- (ङ) "आंगनवाड़ी सहायिका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए सहायिका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।
- (च) "निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के आई० सी० डी० एस० निदेशालय के निदेशक।
- (छ) "मुखिया" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के

पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका

उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया।

(ज) "बाल विकास परियोजना पदाधिकारी" से अभिप्रेत है भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित समेकित बाल विकास परियोजना के भारसाधक पदाधिकारी।

(झ) "लाभार्थी" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के तहत अधिसूचित बाल विकास परियोजना के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहनेवाले लोग।

(ञ) "कोरम" (Quorum) से अभिप्रेत है:-

(i) लाभुकों के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के 20% लाभुकों की उपस्थिति।

(ii) चयन समिति के सदस्यों में से दो तिहाई की उपस्थिति।

[(ट) "बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार के विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु० जनजाति, अनु० जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।]

3. आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु समिति.-आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी:-

- (i) संबंधित वार्ड सदस्य (ग्रामीण क्षेत्र) नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम के वार्ड आयुक्त (शहरी क्षेत्र) (यदि पोषक क्षेत्र में दो वार्ड समाहित हो तो पोषक क्षेत्र के बहुलता वाले वार्ड सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष रहेंगे।) -अध्यक्ष
- (ii) संबंधित वार्ड के पंच (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) -उपाध्यक्ष
- (iii) संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी -सदस्य सचिव
- (iv) अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति का एक सदस्य, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए (लाभान्वितों में से वार्ड की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत) - सदस्य
- (v) एक महिला सदस्य (लाभान्वितों की वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत) - सदस्य
- (vi) संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु० जाति/अनु० जनजाति के एक अधिकारी - सदस्य

टिप्पणी.-1. शहरी क्षेत्रों के लिए यह समिति पाँच सदस्यों की होगी क्योंकि श क्षेत्रों में वार्ड के पंच (सदस्य नं०-2) नहीं होते।

1. ज्ञापक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा अन्तः स्थापित।

2. चयन हेतु चयन समिति में वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में वार्ड के पंच आम सभा की अध्यक्षता करेंगे (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड की आम सभा के सदस्यों द्वारा आम सभा के दिन उनके द्वारा चयनित कार्यकारी अध्यक्ष के तत्वाधान में आम सभा संपन्न होगी।

3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक चयन के लिए वार्ड की आम सभा के बैठक की लिखित सूचना सात दिन पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को देंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड के रूप में कार्यालय में संधारित करेंगे। साथ ही आम सभा की सूचना संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद् तथा नगर निगम के कार्यालयों, आँगनवाड़ी केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर 7 दिन पूर्व चिपकायी जायेगी।

4. आँगनवाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता.—4.1. शैक्षणिक योग्यता: सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।

[4.2 चयन प्रक्रिया में बाहूल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कॉडिका 4 में वर्णित न्यूनतम, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अहर्ताएँ पूरी करती हों। चयन हेतु कॉडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहूल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहूल्य वर्ग में से सभी अहर्ताएँ प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा:-

1. अनु० जनजाति
2. अनु० जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

(व्याख्या-अगर किसी पिछड़ा वर्ग बाहूल्य पोषक क्षेत्र में एक भी पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सभी अहर्ताएँ प्राप्त नहीं है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 1. 'अनु० जनजाति' वर्ग के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। पुनः अगर अनु० जनजाति में भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 2. अनु० जाति के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। यह प्रक्रिया इसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग तक आवश्यकतानुसार अपनाई जाती रहेगी जब तक अहर्ता प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिल जाता)]

1. ज्ञापक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।

8 |

पर्ववेक्षिका/सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका

4.3 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4.4 सेविका पद की रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष की प्रथम जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।

4.5 सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।

4.6 आँगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनवाड़ी केंद्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

4.7 आँगनवाड़ी सेविका उस गाँव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गाँव की बेटी स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

4.8 जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहू/रिशतेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगी। (रिशतेदार से अर्थ है-पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहू)।

4.9 संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिशतेदारों का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिशतेदार से अर्थ है-पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री।

4.10 विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी/बहू/रिशतेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगी। (रिशतेदार से अर्थ है-पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री।

4.11 विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनवाड़ी केंद्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।

4.12 सेविका/सहायिका पदों के लिये आयोग्यताएं:

- (i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।
- (ii) किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगे।
- (iii) सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिशतेदार नहीं होंगी, यथा सास-बहू/ननद-भाभी/देवरानी-जेठानी/माँ-बेटी/बहन-बहन, बहन-भतीजी/सगी-गोतनी आदि।
- (iv) विभिन्न अनुशासनिक/जाँच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।

5. सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण.—5.1 मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।

5.2 इन्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जाएंगे तथा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएंगे।

[5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जायेंगे।

(क) विधवा/परित्यक्ता	- 7 अंक
(ख) विकलांग	- 5 अंक
(ग) सहायिका	- 5 अंक]

5.4 उम्मीदवारों को एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इसके बाद कौडिका 5.2 और 5.3 के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक में जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र 'ग' में तैयार की जाएगी एवं उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। (मेधा सूची का विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' संलग्न)

[5.5 कौडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. सहायिका

टिप्पणी—विधवा उम्मीदवार (समुदाय/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।]

6. सहायिका के चयन हेतु अर्हता.—6.1 सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी।

6.2 अन्य सभी योग्यताएँ कौडिका 4.3 से 4.12 के समरूप होंगी।

1. ज्ञापक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।

10]

पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका

7. सहायिका के लिए मेधा निर्धारण.-7.1 आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा।

7.2 अनुसूचित जाति/जनजाति की एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर निम्न रूप से मेधा निर्धारण किया जायेगा:-

- (i) सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन किया जाएगा।
- (ii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा कोई भी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास न हो तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-
 1. विधवा
 2. परित्यक्ता
 3. विकलांग
 4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी.-कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू होंगी।

- (iii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि), योग्यताएँ हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी.-कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू रहेंगी।

7.3 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

8. सेविका/सहायिका के लिए चयन की प्रक्रिया.-8.1 किसी भी बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्ति होने पर उसकी सूचना रिक्ति होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित रिक्तियों को भरने के लिये राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में (यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा आदि) सात दिनों के अंदर विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु भेजेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय/नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद्, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चिपकायेगें। इसकी एक प्रति आई० सी० डी० एस० निदेशालय को भी भेजी जायेगी।

8.2 विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एवं प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि आँगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी।

8.3 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कडिका-5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वयं कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन निर्गत प्राधिकार से चयन के बाद कराया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत ही सेविका/सहायिका को मानदेय दिया जायेगा।

8.4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित आवेदकों को वार्ड की आम सभा की बैठक की सूचना की तिथि से अवगत कराना अनिवार्य होगा तथा सभी आवेदकों को निर्धारित वार्ड की आम सभा की तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

8.5 वार्ड की आम सभा की बैठक में अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित नहीं रहने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

8.6 आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि एक पंजी में की जायेगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कडिका 5 या 7 के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्रविष्टि पंजी तथा तैयार किये

जाने वाली मेधा सूची में इसे तैयार करने वाले सभी कर्मों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सुस्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। मेधा सूची आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन दिनों के अंदर तैयार करना सुनिश्चित किया जायेगा। मेधा सूची को आँगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित कराया जाएगा तथा सभी उम्मीदवारों को इसकी प्रति निर्वाचित डाक/विशेष दूत से भेजी जाएगी।

8.7 मेधा सूची को एक प्रति निदेशालय एवं एक प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मेधा सूची तैयार होने के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त से विमर्श कर वार्ड की आम सभा की तिथि/समय निर्धारित कर इसकी सूचना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा लाभुकों को देगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सात दिनों के अंदर वार्ड की आम सभा की तिथि की सूचना आँगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में इस प्रकार लगायी जायेगी कि कम-से-कम सात दिन एवं अधिकतम 14 दिन का समय उसके प्रचार-प्रसार के लिए मिले।

8.8 मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट, सार्वजनिक स्थल, आँगनवाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा तथा सेविका/सहायिका चयन हेतु आयोजित वार्ड की आम सभा के दिन मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी आम सभा के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होगा।

नोट:- मैपिंग पंजी के संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश निकालने तक मार्गदर्शिका, 2010 तथा इसके अलावा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश यथावत् रहेंगे।

8.9 लाभान्वितों के बीच वार्ड की आम सभा की तिथि/समय के प्रचार-प्रसार को जवाबदेही महिला पर्यवेक्षक, वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त की होगी।

8.10 वार्ड की आम सभा की तिथि एवं समय के संबंध में विधिवत सूचना वार्ड आयुक्त/वार्ड सदस्य/पंच को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। बैठक की विधिवत सूचना ग्रामीण परियोजना के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, शहरी परियोजना के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, प्रस्तावित आँगनवाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में चिपका दी जायेगी, तथा संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्रों के लाभुकों के बीच डुगडुगी पिटवाकर/लाउडस्पीकर के द्वारा प्रसारित की जायेगी।

8.11 सेविका/सहायिका के चयन हेतु वार्ड की आम सभा की बैठक उसी टोला/गाँव/मोहल्ला के सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी, जिस टोला/गाँव/मोहल्ला में आँगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आम सभा किसी व्यक्ति विशेष के घर/आंगन में आयोजित नहीं की जायेगी।

8.12 सेविका/सहायिका के चयन के लिए आयोजित वार्ड की आम सभा में केवल इस योजना के लाभुक परिवार के वयस्क सदस्य जिनके परिवार के मुखिया का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज हो (महिला एवं पुरुष) भाग लेंगे। आम सभा की कारवाई के पूर्व बाल विकास

परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस वार्ड की आवादी तथा वांछित कोरम (Quorum) की जानकारी उपस्थित लोगों को कराई जाएगी।

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रपत्र में संधारित की जायेगी:-

क्रम सं.	उपस्थित सदस्यों का नाम	पिता/पति	गाँव/टोला का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
----------	------------------------	----------	------------------	------	---------------------------

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणिकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बैठक में संबंधित आँगनवाड़ी केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के न्यूनतम 20% के बराबर लाभुकों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा चयन समिति के 2/3 या उससे अधिक (4 या उससे अधिक) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक में उपरोक्त कोरम पूरा नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देंगे तथा इन सभी तथ्यों को वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में सुस्पष्ट ढंग से उल्लिखित करेंगे। स्थगित बैठक के बाद की बैठक के लिए लाभुकों का 10% तथा चयन समिति का 1/2 (3 या उससे अधिक सदस्य) कोरम अपेक्षित होगा। स्थगन के पश्चात दूसरी आम सभा की बैठक की सूचना का भी विस्तृत प्रचार-प्रसार उपरोक्त कॉडिकाओं के अनुसार किया जाएगा।

8.13 वार्ड की आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदिकाओं के आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएँ एवं मेधा सूची के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। सभी अर्हताओं को पूर्ण करने वाली तथा मेधा सूची में सर्वोच्च अंक/स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वार्ड की आम सभा की बैठक की कार्यवाही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। बैठक की कार्यवाही में चयन समिति के सभी सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित लाभुकों के परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा दूसरी प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय में रखी जाएगी।

8.14 उपर्युक्त तरीके से बुलाई गई बैठक में वार्ड की आम सभा द्वारा मेधा सूची के अनुसार तीन अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। इस पैनल से सर्वोच्च अंक/स्थान प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी के चयन की घोषणा वार्ड की आम सभा में की जायेगी। बनाये गये पैनल की मान्यता तीन वर्षों के लिए होगी। इस बीच यदि किसी कारणवश चयनित सेविका/सहायिका का पद रिक्त होता है तो इसी पैनल से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा चयन किया जाएगा। अनुमोदित पैनल में से सेविका/सहायिका का चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा करते हुए इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दी जायेगी।

8.15 सेविका/सहायिका चयन की घोषणा के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वार्ड की आम सभा की तिथि से आठवें दिन अथवा उसके पूर्व परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में चयन पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

8.16 चयन पत्र देने के पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संबंधित सेविका को

आवश्यक प्रशिक्षण हेतु दो सप्ताह के अंदर भेजा जाएगा।

8.17 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड की आम सभा की बैठक की विडियो रेकार्डिंग करायी जाएगी तथा उसकी एक प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के लिए भी अपनायी जाएगी।

8.18 आँगनवाड़ी सेविकाओं को अपना कार्य ठीक से करने (विद्यालय पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, आँगनवाड़ी केन्द्र का लेखा संधारण आदि) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पढ़ने, लिखने, गणित आदि का ज्ञान हो। इसकी जाँच हेतु सभी सेविकाओं के लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। चयनित सेविकाओं को उक्त परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। चयनित सेविका को परीक्षा देने के 2 मौके दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित न होने को एक मौका मानते हुए परीक्षा में असफल होना माना जायेगा। परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न होने पर सेविका को चयनमुक्त कर दिया जायेगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

9. चयन की भ्रूविधि.—[9.1 सेविका और सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्यवाही की जाएगी।]

9.2 प्रथम बार में सेविका/सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका 4 अथवा 6 में वर्णित सारी अहर्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका/सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। पूर्व से चयनित सेविका/सहायिका के लिए यह प्रक्रिया प्रति तीन वर्ष बाद अपनाई जायेगी।

10. चयन हेतु वार्ड की आम सभा से संबंधित शिकायत लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया.—10.1. सेविका/सहायिका के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। यदि जाँच के क्रम में यह पाया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जानबुझकर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी है अथवा लापरवाही बरती गई है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

10.2 चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/वरीय उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से इसकी जाँच करायी जाएगी। जाँच परिवाद पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जाँच पदाधिकारी जाँच समाप्त होने की तिथि से सात दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। जिला पदाधिकारी परिवाद से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित पक्षों को सुनकर अपना मुखर आदेश पारित करेंगे।

1. ज्ञापांक 423, दिनांक 3/2/12 द्वारा प्रतिस्थापित।

10.3. यदि जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात यह पाया जाता है कि चयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है तो जिला पदाधिकारी ऐसी सेविका/सहायिका के चयन को रद्द कर सकेंगे तथा पैनल के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का निर्देश देंगे। जिला पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

10.4 प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित पक्षों को सुनकर 45 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे। इस मामले में उनका आदेश अंतिम होगा। उनके आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं होगी।

10.5 सेविका/सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरते जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 30 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।

10.6 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 60 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

10.7 राज्य स्तरीय जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यदि समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी. एस. निदेशालय द्वारा संबंधित सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का निर्देश रखा जाता है, तो संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा उन्हें सुनने के पश्चात सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। यह आदेश 30 दिन में पारित करना होगा। ऐसे मामलों में कोई अपील नहीं होगी।

10.8 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जिन सेविका/सहायिका को आँगनवाड़ी केन्द्र पर अनियमितता पाये जाने पर चयनमुक्त करेंगे, उसकी सूचना एवं रद्द किये गये केन्द्रों से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख यथा आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के विरुद्ध समर्पित प्रतिवेदन जिसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की गयी, निर्गत आरोप पत्र, सेविका/सहायिका के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, सुनवाई के क्रम में लिये गये/देखे गये साक्ष्य एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश उसी तिथि को निदेशालय/विभाग को फ़ैक्स या अन्य माध्यम से निश्चित रूप से भेजेंगे। विभाग एवं निदेशालय स्तर पर चयन मुक्त की गई सेविकाओं का 10 प्रतिशत रैन्डम जाँच/समीक्षा कर देखा जायेगा कि चयन मुक्त करने का आदेश सही है या नहीं। यदि पाया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा वाह्य जनित कारणों (Extraneous reasons) से प्रेरित है अथवा निहित स्वार्थ के लिये लिया गया है तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध निलम्बन और अन्य समुचित विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी।

10.9 चयन में गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के मामले में जाँचोपरान्त कृत कार्रवाई/लिये गये निर्णय (किसी भी स्तर से) से वार्ड की आम सभा को अवगत कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

11. त्याग पत्र. - 11.1 संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर

16]

पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका

अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इसपर निर्णय लिय जायेगा। एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिय जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

11.2 त्याग पत्र देने वाली सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

12. इस मार्गदर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निर्देश इस तद तक संशोधित समझे जायेंगे।

सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011
एवं संशोधन 2012

पृष्ठ

43

44

45

45

84

72

03

08

11

17

17

18

18

19

20

21

26

27

29

29

30

30

31

33

34

बिहार सरकार, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) पत्रांक:-I.C.D.S./30020/2-2011/461, दिनांक 11.2.12.

विषय:-सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2011 में हुए संशोधन के आलोक में चयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-ICDS/30010/01-2011/423 दिनांक 3.3.2012 द्वारा सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्ग दर्शिका 2011 में आंशिक संशोधन किए गये हैं, और सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू है।

उपरोक्त संशोधन के आलोक में यह बिन्दु उभर कर आया है कि जिन जगहों पर सेविका/सहायिका के चयन की प्रक्रिया मार्गदर्शिका 2011 के आलोक में विभिन्न स्तरों पर है-क्या वहाँ संशोधन के आलोक में चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जाय?

उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरंत यह निर्देश दिया जाता है कि जहाँ दिनांक 3.2.2012 तक चयन के लिए मेधा सूची Finalize कर प्रकाशित की जा चुकी है, वहाँ चयन की कार्रवाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु जिन केन्द्रों पर दिनांक 3.2.2012 तक मेधा सूची Finalize कर प्रकाशित नहीं की गई है, उन केन्द्रों पर पत्रांक 423 दिनांक 3.2.2012 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार चयन की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग, पत्रांक-ICDS/30010/1-2011/423, दिनांक- 3.2.12.

विषय-सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन।
उपरोक्त विषय में सरकार द्वारा सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 4.11.2011 से पूरे बिहार में लागू की गई है। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरंत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:-

1. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 2 में निम्न परिभाषा जोड़ी जाती है:-
2 (ट) "बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है आँगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु० जनजाति, अनु० जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग।
2. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 4.2 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है:-
4.2 चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अहर्ताएँ पूरी करती हों। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी अहर्ताएँ प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य

29

2] पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका

वर्गों को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा:-

1. अनु० जनजाति
2. अनु० जाति
3. अतिपिछड़ा वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग
5. अल्पसंख्यक
6. सामान्य

(ब्याख्या-अगर किसी पिछड़ा वर्ग बाहुल्य पोषक क्षेत्र में एक भी पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार सभी अर्हताएँ प्राप्त नहीं है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 1. 'अनु० जनजाति' वर्ग के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। पुनः अगर अनु० जनजाति में भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तब उपरोक्त वरीयता क्रम 2. अनु० जाति के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से मेधा सूची तैयार कर सेविका का चयन किया जायेगा। यह प्रक्रिया इसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग तक आवश्यकतानुसार अपनाई जाती रहेगी जब तक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिल जाता)

3. मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 5.3 और 5.5 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है:-

5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त वोनस अंक दिये जायेंगे:-

- | | |
|----------------------|---------|
| (क) विधवा/परित्यक्ता | - 7 अंक |
| (ख) विकलांग | - 5 अंक |
| (ग) सहायिका | - 5 अंक |

5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. सहायिका

टिप्पणी-विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

चयन

4. मार्गदर्शिका, 2011 की कडिका 9.1 को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है:-
9.1 सेविका और सहायिका अधिकतम 60 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका और सहायिका स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका और सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।

5. मार्गदर्शिका, 2011 में कडिका 12 के बाद निम्न कडिका समाहित की जाती है:-

13. इस मार्गदर्शिका की कडिका 8.18, 9.1 और 9.2 पूर्व से कार्यरत सभी सेविकाओं और सहायिकाओं पर भी लागू होगी।

ये सारे संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उक्त संशोधन के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करे।

वर्ग
वर्ग

Annexure - 3

31

श्रीमती किशोरी देवी पञ्चायत पञ्चायत पञ्चायत
 अन्तर्गत जागतिकी केंद्र हेतु सहायिका / सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में
 आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या (64) है।
 दिनांक :

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
किशोरी देवी

19

श्रीमति किनकिन देवी पढवा वार्ड नं 10 पंचायत अंतर्गत
मनि. आंगनबाडी केन्द्र हेतू सेविका/ सहायिका पद पर
चयन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया
जिसकी प्राप्ति संख्या 75 है।

ह./-अस्पष्ट

30.1.12

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

Answer - 1

32

कार्यालय:- बाल विकास परियोजना, मुरलीगंज (मधेपुरा) ।

पत्रांक 534 A / दिनांक 09/09/12 ।

प्रेषित.

वार्ड सदस्य:-

वार्ड पंच :-

आवेदिका का नाम :- कुंजन कुमारी / पवन ठाकुर

आवेदिका का नाम :- किनकिन देवी / रंजन पोद्दार

आवेदिका का नाम :- नीतू कुमारी / रामदेव ठाकुर

आवेदिका का नाम :- विभा कुमारी / बीरेन्द्र कुमार

आवेदिका का नाम :- रेणु कुमारी / राजकुमार

आवेदिका का नाम :- सुमनलता / मनोज कुमार

आवेदिका का नाम :-

आवेदिका का नाम :-

आवेदिका का नाम :-

आवेदिका का नाम :-

आवेदिका का नाम :-

आवेदिका का नाम :-


पंचायत :- पड़वा मुरलीगंज, मधेपुरा।

विषय:- दिनांक 17/09/12 को 10:00 बजे आमसभा आयोजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि आंगनवाडी केन्द्र पड़वा उत्तरी पांसवान टोला केन्द्र मिनी/अतिरिक्त पर रिक्त सेविका / सहायिका पद पर चयन हेतु 30.09.12 को 10:00 पर आमसभा का आयोजन 10:00 बजे किया जाएगा ।

अतः सभी आवेदिका दिनांक 17/09/12 को मूल प्रमाण पत्र के साथ आम सभा में उपस्थित होंगे ।


बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
मुरलीगंज, (मधेपुरा) ।

प्रेषक,
बाप विकास परिषद
मुरलीगंज
सह
लोक सूचना पदा
मुरलीगंज

सेवा में,
किनकिन देवी
पति इंजन बंधुवार
पड़वा

विषय - मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के
संबंध में।

महाशय,
आपके द्वारा मांगी गई सूचना
उपलब्ध करायी जा रही है।

कृपया, पाकी स्वीकार किया
जाय।

विश्वामाजन

15.12.12

अनुलग्नक → 10 पंज

बाप विकास परिषद
मुरलीगंज (अधपुरा)।

① भद्रम सभा की कार्यवाही
पंजी की छायापत्र

② पत्रलिख सैविका कुंजन
कुमारी के महत्त्व का
अंक पत्र सर्व इंटरमीडिएट
का अंक पत्र की छायापत्र

पत्रांक-708

दिनांक- 15.12.12

प्रेषक

बाल विकास परि० पदा

मुरलीगंज

सह

लोक सूचना पदा०

मुरलीगंज

सेवा में

किनकिन देवी

पति रजन पोददार

पडवा

विषय:- मांगी गई सूचना उपलब्ध रकाने के संबंध में ।

महाशय

आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करायी जा रही है ।

कृपया पावती स्वीकार किया जाय ।

अनुलग्नक-10 पेज

1. आम सभा की कार्यवाही पंजी की छायाप्रति ।
2. चयनित सेविका कुजंन कुमारी के मध्यमा का अंक पत्र एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र की छायाप्रति ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

15.12.12

बाल विकास परि० पदा०

मुरलीगंज/मधेपुरा ।

34




आज्ञा दिनांक 17-07-12 को स्वीकृत रूप
 वाली केंद्र अपनी मर्यादा रोसा, मरवा केड
 विद्यापीठ के अंतर्गत रखे जाने हेतु
 पर, केंद्र का नाम को 17-07-12 को स्वीकृत
 रूप में मरवा रोसा केड को स्वीकृत रूप में
 दिनांक मरवा ।

17-07-12
 (17-07-12)

अज्ञा स्वीकृत के प्रकार -

- 1) अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12
- 2) अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12
- 3) अज्ञा (17-07-12) के अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12
- 4) अज्ञा (17-07-12) के अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12
- 5) अज्ञा (17-07-12) के अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12
- 6) अज्ञा (17-07-12) के अज्ञा (17-07-12) - 17-07-12



17-07-12
 (17-07-12)

T.S

34

आज दिनांक 17.9.12 को स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्र उत्तरी पारावान टोला पढवा हेतु रिक्त सेविका पद पर चयन हेतु

पर आम सभा का आयोजन वार्ड सदस्य मनोज मंडल कि अध्यक्षता में किया गया ।

ह./-मनोज मंडल

अध्यक्ष

वार्ड सदस्य ।

चयन समिति के सदस्य

1. अध्यक्ष / वार्ड सदस्य /

ह./-मनोज मंडल

17.2.12

2. उपाध्यक्ष / पंच /

ह./-छवि मुखिया

3. अनु.जाति / पिछडी जाति के मनोनित सदस्य - ह./-सुभाष कुमार

17.2.12

4. मनोनित महिला सदस्य

ह./-अस्पष्ट

5. सेविका / बाल वि. परि. पदा. /

ह./-अस्पष्ट

6. प्रखंड स्तर के अनु.जाति / जन.जाति के पदाधिकारी

ह./-अस्पष्ट

T.R

प्रस्ताव सं. 01:- आम सभा में सेविका/सहायिका के चयन हेतू मार्गदर्शिका 2011 (ICDS पत्रांक 2868 दिनांक 4.11.11 एवं संशोधित पत्रांक 423 दिनांक 3.2.12 एवं संशोधित पत्रांक 528 दिनांक 27.4.12 को पढकर सुनाया गया ।

प्रस्ताव सं. 02:- आम सभा में स्वीकृत मिनी आंगनवाडी केन्द्र उत्तरी पासवान टोला पक्का के पोषक क्षेत्र का मैपिंग प्रस्तुत किया गया । मैपिंग के अनुसार पोषक क्षेत्र अत्यंत पिछडा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है।

प्रस्ताव सं. 03:- आम सभा में सभी उपस्थित आवेदिकाओं के द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्ताव सं. 04:- आवेदिका विभा कुमारी पति विरेन्द्र कुमार आम सभा में अनुपस्थित रहीं ।

प्रस्ताव सं. 05:- आवेदिका रेणू कुमारी पति राजकुमार आम सभा में अनुपस्थित रहीं ।

प्रस्ताव सं. 06:- आवेदिका सुमनलता पति मनोज कुमार आम सभा में अनुपस्थित रहीं ।

इस प्रकार कुल 06 /छः आवेदिकाओं में से 03 /तीन/ आवेदिका आम सभा से अनुपस्थित रहीं ।

प्रस्ताव सं. 07:- आवेदिका नीतू कुमारी पति रामदेव ठाकुर का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज नहीं होने के कारण पोषक क्षेत्र से बाहर का घोषित किया गया।

प्रस्ताव सं. 08:- आम सभा में बताया गया कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 5.1 के आलोक में मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा गया। किन्तू ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विपत्रों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया गया।

प्रस्ताव सं. 09:- आम सभा में उपस्थित लोगों द्वारा इस बात की पुष्टि की गयी कि मैपिंग पंजी में नामांकित दोनो अभ्यर्थियों के कोई भी रिश्तेदार सरकारी/अर्द्धसरकारी से 05 नहीं है एवं न ही ये दोनो किसी जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार है। /सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 4-8 एवं 4-9 दृष्टव्य /

प्रस्ताव सं. 11:- आम सभा द्वारा अनुमोदित दो अभ्यर्थियों के पैनल में सर्वोच्च स्थान पर अभ्यर्थी कंचन कुमारी पति पवन ठाकुर को 58.71 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर रखा गया एवं अभ्यर्थी कुंजन कुमारी पति पवन ठाकुर को सेविका पद हेतु चयनित घोषित किया गया ।

प्रस्ताव सं. 12:- पैनल में दूसरे स्थान पर अभ्यर्थी किनकिन देवी पति रंजन पोददार को 58.14 प्रतिशत के साथ रखा गया ।

प्रस्ताव सं. 13:- आम सभा में बताया गया कि पैनल की मान्यता 03 /तीन/ वर्षों के लिए होगी ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ आम सभा समाप्त किया गया ।

ह./-अस्पष्ट
17.9.12
सचिव सह
बाल वि.परि.पदा.

ह./-अस्पष्ट
अध्यक्ष
/वार्ड सदस्य/

17330
1016113

1010115

1110115

न्यायालय अमानत सहे जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा **Annexure - 6**

अनुसूची-१४-फारम सं०- ५६२।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक्ष, १९४१ का नियम १२९)

क्रि.नं.दि.नं. देवी
वाराणसी
फुन्जरा कुमारी

58

आदेश पत्रक- ता० से तक
जिला सं० सन् १९
केस का प्रकार न्यायालय वादी - 28/2012

आदेश की क्रम, संख्या कोष तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
1	2	3
3/10/12	Put up before the learned Collector, Madhepura on 12/10/12 सी.ए.ए. - Sd/- Legal Magistrate Madhepura	6249062 6540
12/10/12	वादी की दायरे प्राप्त अमानत पर्याप्तानिक महिसण में गागा लेने हेतु श्रीभालम से प्राप्त न्यायालय कार्य स्वतंत्र/अभिलेख दिनांक 23/11/12 का संख्या 374150	STAMP DUTY 00000 BIHAR JUDICIAL 29.5.2013 BIHAR
23/11/12	वादी की दायरे प्राप्त अमानत पर्याप्तानिक महिसण प्राप्त की हेतु श्रीभालम से प्राप्त न्यायालय कार्य स्वतंत्र/अभिलेख दिनांक 07/12/12 का संख्या 374150	GOVT. OF BIHAR COURT FEE Authorization No. 2037
07/12/12	Heard. Call for Report from concerned C.D.P.O through D.P.O. Put up on 4.1.13.	779-780 24/12/12

भारत
STAMP DUTY 00000
BIHAR JUDICIAL 29.5.2013 BIHAR
GOVT. OF BIHAR
COURT FEE
Authorization No. 2037

न्यायालय समाहर्ता सह जिला दण्डाधिकारी मधेपुरा

आदेश पत्रक

/देखे अभिलेख हस्तक्ष 1141 का नियम 121/

आदेश पत्रक-ता0.....सेतक

जिला..... सं0-.....सन 11

केस का प्रकार -आंगनबाडी 28 / 2012

आदेश की क्रम संख्या कोष तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
3.10.12	Put up before the learned Collector, Madhepura on 12.10.12. Sd/-illegible Legal Magistrate, Madhepura.	
12.10.12	वादी का हजारी प्राप्त। समाहर्ता प्रवासिनिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु मुख्यालय से बाहर न्यायालय कार्य स्थगित। अभिलेख दिनांक 7 23.11.12 को देखे। उप समा.	
23.11.12	वादी की हाजरी प्राप्त। समाहर्ता प्रशासनिक प्रशिक्षण प्राप्त करे हेतु मुख्यालय से बाहर न्यायालय कार्य स्थगित अभिलेख दिनांक 7 12.12 को रखे। उप समा.	
7.12.12	Heard call for Report from concerned C.P.R.O. through D.P.O. Put up on 4.1.13. Sd/-illegible 7.12.12	

आदेश की क्रम. संख्या कोष तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
1	2	3
04.01.13	वादी की लज्जती अज्ञाप। दिनांक 15.01.13 को रखी। उप (का)	37-0 21-04-8(11)13 0145-415-0145-0113
15.01.13	D.P.O. से जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 19.2.13 को रखी। उप (का)	
19.2.13	D.P.O. से जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 26.3.13 को रखी। उप (का)	
26.3.13	D.P.O. से जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 30.4.13 को रखी। उप (का)	
30.4.13	D.P.O. से जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 17.5.13 को रखी। उप (का)	
17.5.13	D.P.O. से जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 07.6.13 को रखी। उप (का)	
07.6.13	वादी की लज्जती अज्ञाप। जांच अतिवेक अज्ञाप। दिनांक - 21.6.13 को रखी। उप (का)	

39

6279061 6810

बिहार
JUDICIAL

28.5.2013

BIHAR

STAMP DUTY

00000

0000005

374150



GOVT OF BIHAR
DEPT. OF JUDICIAL & PROBATION DEPT.
BEGURA SCORL, MADHEPURA

COURT FEE

Authorization No. 2037



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
24/6/13

TS

39

आदेश की क्रम संख्या कोष तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
4.1.13	वादी की हाजरी प्राप्त। दिनांक- 19.1.13 को रखे। उप समा.	
19.1.13	डी.पी.ओ से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक-19.2.13 उप समा.	
19.2.13	डी.पी.ओ से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक- 26.3.13 को रखे। उप समा.	
26.3.13	डी.पी.ओ से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक- 30.4.13 को रखे। उप समा.	
30.4.13	डी.पी.ओ. से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक- 17.5.13 को रखे। उप समा.	
17.5.13	डी.पी.ओ से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। दिनांक 7. 6.13 को रखे। उप समा.	
7.6.13	वादी की हाजरी प्राप्त। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त दिनांक 21.6.13 को रखे। उप समा.	

Amexia -7
कार्यालय- बाल विकास परियोजना, मुरलीगंज, मधेपुरा ।

110

पत्रांक...96.../ दिनांक..18.3.13/

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी

सह

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

मुरलीगंज, मधेपुरा ।

सेवा में,

श्रीमती किनकिन देवी, पति- श्री रंजन पोद्दार

ग्राम+पो0- पड़वा, थाना-मुरलीगंज

मुरलीगंज, मधेपुरा ।

विषय :- आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करायी जा रही है । कृपया पावती स्वीकार किया जाय ।

अनुलग्नक

1) मैपिंग पंजी प्रपत्र की छायाप्रति-06 पन्नों में ।

2) उत्तरी पासवान टोला, पड़वा के सभी
अभ्यर्थी के आवेदन एवं प्रमाण पत्र की
छायाप्रति-54 पन्नों में ।

विश्वासभाजन


18.3.13

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
मुरलीगंज, मधेपुरा ।

411

(1)

मैपिंग पंजी प्रपत्र।

आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु पोषक क्षेत्रों की सूची

- (1) ग्राम पंचायत -- पड़वा नवटोल
- (2) मैपिंग रिपोर्ट वर्ष :- 2010
- (3) ग्राम :- पड़वा
- (4) आ० केन्द्र का नाम -- पड़वा उत्तरी पासवान टोला
- (5) आ० केन्द्र के सेवा क्षेत्र की चौहद्दी --
उत्तर :- तमोट परसा दक्षिण :- विष्णुपुर
पूरब -- जोरगामा पश्चिम :- भतखोड़ा
- (6) लाभुक के परिवार के मुखिया का कुल संख्या :- 152
- (7) वयस्क सदस्यों की संख्या --
पुरुष (148) महिला (153) कुल (301)
- (8) 7-8 साल के किशोर/किशोरियों की संख्या :-
बालक (106) बालिका (97) कुल (243)
- (9) 3-6 साल के बच्चों की संख्या :-
बालक (80) बालिका (58) कुल (138)
- (10) 0-3 साल के बच्चों की संख्या --
बालक (57) बालिका (65) कुल (132)
कुल (814)
- (11) परिवार संख्या --
- | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| (क) ऋषिदव | -- () | (ख) पासवान | -- (59) | (ग) कवट | -- (19) |
| (घ) हलवाई | -- () | (ड.) कलवार | -- (17) | (च) बढई | -- () |
| (छ) बमार | -- () | (ज) यादव | -- () | (झ) संथाल | -- () |
| (ञ) जुलाहा | -- (11) | (त) तेली | -- () | (थ) नाई | -- () |
| (द) धोदी | -- () | (ध) मुस्तौफ | -- () | (ण) मल्लाह | -- (46) |

कुल परिवार संख्या -- 152

(12) सर्वेक्षण किए गए कुल घरों (परिवारों) की संख्या :- 152

(13) सर्वेक्षण तिथि --

अधिकारी

जीता कुमारी

के-3 पड़वा नवटोल 75

अधिकारी

L.S

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
मुरलीगज (मधुपुर)

34



अज्ञात दिनांक 17-03-12 को - स्वीडिश और
दूसरी कंपनी जल्दी सम्पत्ति होना, पढ़ना है
दिए गए दिनांक पर पर ध्यान देते हैं

... ..
... ..
... ..
... ..

प्रा. सं. सं. सं.
... ..

... ..

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)